न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 139/17
निर्णय दिनांक : 22.05.2018

1. काना पुत्र रामला
2. गुलाबदेवी पत्नि नन्दाराम
3. कु0 पूजा पुत्री नन्दाराम
4. राजेन्द्र पुत्र नन्दाराम
5. कु0 निशा पुत्री नन्दाराम
6. रोहित पुत्र नन्दाराम

अप्रार्थी सं0 3 लगा0 6 नाबालिंगान जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता गुलाबदेवी समस्त जाति जाट नि0 रसूलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

7. हीरादेवी पुत्री माना
8. लालीदेवी पुत्री माना
9. पिंकीदेवी पुत्री माना
10. मदनलाल पुत्र माना

समस्त जाति जाट नि0 रसूलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 व 112 भू0राजस्व अधिनियम

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 1192/3 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम रसूलपुरा प0ह0 काजीपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें प्रार्थी सं0 1 का 1/2 हिस्सा है तथा प्रार्थी सं0 2 लगा0 6 का संयुक्त रूप से 80/391 हिस्सा, प्रार्थी सं0 7 लगा0 10 का 231/792 हिस्सा है इसी प्रकार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी खं0नं0 1192/3 के मूल खं0नं0 1192 थे उक्त खं0नं0 1192 को विभक्त करने पर प्रार्थीगण के खं0नं0 1192/3 दर्ज किये गये जो राजस्व जमाबन्दी में दर्ज कर दिये गये परन्तु राजस्व नक्शें में प्रार्थीगण के उक्त खं0नं0 1192/3 की तरमीम अलग से नहीं की गई। जिससे राजस्व नक्शें में प्रार्थीगण के उपरोक्त खसरा नम्बर का अलग से चिन्हित न होने से भूमि की सीमाकंन करने में भी अनावश्यक परेशानियों का सामान करना पड़ रहा है ओर भूमि को उन्नत विकसित करने में भी परेशानी हो रही है। प्रार्थीगण के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी का प0ह0 के पास उपलब्ध वर्तमान नक्शें में तरमीम नहीं होने से आराजी

अधिकारी
र लेक

Scanned by CamScanner

के सीमाज्ञान करवाने तथा सींव मेड़ को लेकर असुविधा हो रही है तथा बिना नक्शें के तरमीम आराजी के विकास करने में भी बाधा उत्पन्न हो रही है जिसके कारण काश्त करने में भी भारी असुविधा उत्पन्न हो रही है इस कारण नक्शें में तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण ने मूल ख0नं0 1192 से टुकड़े किये गये ख0नं0 1192/3 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है उसका जमाबन्दी राजस्व रिकोर्ड में अनुसार नक्शें में तरमीम करने की प्रार्थना पटवारी हल्का व तहसीलदार फुलेरा से दिनांक 28.04.17 को की गई तो उन्होनें न्यायालय से आदेश लाने की हिदायत दी इसलिए यह प्रा0पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र काजीपुरा में पेश हुयी। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। पत्रावली दिनांक 19.05.17 को फोलोअप केम्प न्यायालय हाजा में पेश हुयी। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली व जवाब का अवलोकन किया गया तो वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक अन्य वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रा0पत्र विचाराधीन चल रहा है वकील प्रार्थी व राज पेरोकार ने बताया कि मौके पर नक्शें में काफी भिन्नता आ रही है इस सम्बन्ध में राजस्व शिविर में भी वादग्रस्त आराजी का नाप करवाया गया था लेकिन भिन्नता पाई गई इस कारण मौके व रिकोर्ड की वस्तु स्थिति की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि का नाप प्राईवेट/सेटलमेन्ट विभाग से नाप करवाया जावे तथा इनके सहयोग हेतु 4 पटवारी व गिरदावर लगाकर नाप करवाया जावे तो उसका खर्चा वहन करने की स्वीकृति भी दी है इस पर मनन किया जाकर वकील प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया गया। पत्रावली दिनांक 22.05.18 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र काजीपुरा में पेश हुयी। पक्षकारान ने उपस्थित होकर प्रा0पत्र बाबत् सहमति किये जाने नक्शें में तरमीम का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जिसके अनुसार पक्षकारों में यह सहमति हुयी है कि ख0नं0 1192/3 के अलावा इसी ख0नं0 के अन्य ख0नं0 1192/1230 रकबा 24 बीघा 15 विस्वा, ख0नं0 1192/1229 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा तथा ख0नं0 1192/9, 1192, 1192/7, 1192/2, 1192/8, 1192/1 व 192/10 की नक्शें मे तरमीम करवाया जाना आवश्यक है जिसमे से ख0नं0 1192/4 शा0नं0, 1130, 1192/5 व 1192/6 शा0नं0 1230, 1192/1229 का सेटलमेन्ट नक्शे मे पूर्व मे तरमीम हो रखी है उक्त तरमीम यथावत् रहेगी शेष खसरा नम्बरान का रकबा 51 बीघा 9 विस्वा जमाबन्दी मे है इस कारण नक्शें में जमाबन्दी में दर्ज रकबें के अनुसार 1 बीघा 15 विस्वा भूमि कम रहती है उक्त 1 बीघा 15 विस्वा भूमि को समस्त खातेदार 51 बीघा 9 विस्वा के अपने अपने हिस्सें/रकबें के अनुपातिक भूमि कम कर राजस्व नक्शें में तरमीम करने हेतु सहमत है इसी अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम कर दी जावें तो हमे कोई आपति

खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

हीं है इस आशय की सहमति पक्षकारों ने स्वेच्छिक रूप से लिखकर प्रस्तुत की तो शामिल पत्रावली की गयी।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2070 से 073, नकल नक्शा दिनांक 10.04.17 पेश की है।

पक्षकारान उक्त प्रार्थना पत्र सहमति पत्र के आधार पर स्वीकार किये जाने ा निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया वलोकन करने के बाद प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सहमति पत्र के आधार पर वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार कया जाकर आराजी खं0नं0 1192/3 के अलावा इसी खं0नं0 के अन्य खं0नं0 192/1230 रकबा 24 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 1192/1229 रकबा 2 बीघा 10 स्वा तथा खं0नं0 1192/9, 1192, 1192/7, 1192/2, 1192/8, 1192/1 व 92/10 की नक्शें मे तरमीम करवाया जाना आवश्यक है जिसमे से खं0नं0 192/4 शा0नं0, 1130, 1192/5 व 1192/6 शा0नं0 1230, 1192/1229 का टलमेन्ट नक्शे मे पूर्व मे तरमीम हो रखी है उक्त तरमीम यथावत् रहेगी शेष सरा नम्बरान का रकबा 51 बीघा 9 विस्वा जमाबन्दी मे है इस कारण नक्शें में माबन्दी में दर्ज रकबें के अनुसार 1 बीघा 15 विस्वा भूमि कम रहती है उक्त 1 घा 15 विस्वा भूमि को समस्त खातेदार 51 बीघा 9 विस्वा के अपने अपने स्सें/रकबें के अनुपातिक भूमि कम कर सहमति अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम ये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फुलेरा को राजस्व रिकोर्ड में अमल रामद हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 22.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प जीपुरा में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक
उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner